न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह R.A.S)

प्रकरण संख्या – 180 / 2025 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रर्वतन अधिकारी भीलवाड़ा	बनाम	1. ओमप्रकाश माली पुत्र रतनलाल माली निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा फर्म मालिक श्री बालाजी ऑटो सर्विसेज एण्ड पार्ट्स पण्डेर जिला भीलवाड़ा (मालिक) 2. रामपाल माली पुत्र गजानन माली निवासी पण्डरे तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा मिस्त्री श्री बालाजी ऑटो सर्विसेज एण्ड पार्ट्स पण्डेर जिला भीलवाड़ा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 02 / 02 / 2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध पेश किया गया कि **प्रार्थीगण के फर्म श्री बालाजी ऑटो सर्विसेज एण्ड पार्ट्स स्थान पण्डेर** का निरीक्षण किया गया। फर्म का निरीक्षण किया गया किन्तु **फर्म मालिक ओमप्रकाश** मौके से फरार हो गया। उसके सहयोगी विपक्षी सं 2 एवं पुलिस कानि मुकेश गुर्जर थाना पण्डरे बेल्ट–1815 की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण किया गया।

मौके पर **06 घरेलु घेस सिलेण्डर(04** IOCL and 02 HPCL total weight of utilized illegal gas in kg= 85.2kg) एवं **01 गैस रिफिलिंग मशीन**, जिनसे LPG को वाहनों की टंकियों में भरा जाता है, पाई गई।

इसके संबंध में विपक्षीगण ने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए एवं न ही कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध हुआ है। जब्जी सामग्री को साक्षीगण कानि0 की मोजुदगी जब्त सरकार किया जाकर खेराड़ गैस सर्विस जहाजपुर के कार्मिक श्री दामोदर

2.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रसाद समदानी पुत्र श्री रामराय समदानी निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को सुपुर्दगी में दिये गये।

इसके बाद सायं 5.00 बजे साक्षीगण पुलिस कॉन्सटेबल श्री मुकेश गुर्जर पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर हाल मुकाम पुलिस थाना पण्डेर बेल्ट नम्बर 1815 उपस्थिति में ग्राम पण्डेर स्थित आरोपी ओमप्रकाश के दूसरे गोदाम, का पुलिस जाब्ता से ताला तुड़वाकर निरीक्षण किया गया तो ओईल कम्पनीज के **25 घरेलू गैस सिलेण्डरों(11 BPCL, 02 IOCL and 12 HPCL total weight of utilized illegal gas in kg= 241.4 kg)** एवं **02 रिफिलिंग मशीन** का अवैध भण्डारण पाया गया।

इसके संबंध में विपक्षीगण ने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए एवं न ही कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध हुआ है। जब्जी सामग्री को साक्षीगण कानि0 की मोजुदगी जब्त सरकार किया जाकर खेराड़ गैस सर्विस जहाजपुर के कार्मिक श्री दामोदर प्रसाद समदानी पुत्र श्री रामराय समदानी निवासी पीपलून्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को सुपुर्दगी में दिये गये।

अंततः निवेदन कि उपरोक्तानुसार **Overall 31 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 326.6 किग्रा. एलपीजी, 03 गैस रिफिलिंग मशीन** को कार्यवाही सम्बन्धी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि जब्त किये गये कुल राजसात करने का आदेश फरमायें। चूंकि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक है तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील, उड़नशील एवं विस्फोटक पदार्थ है एवं गैस सिलेण्डर, गैस रिफिलिंग मशीन आदि के खराब होने की सम्भावना है, अतः प्रकरण में अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमायें। इस संदर्भ में निवेदन है कि क्रमांक 208 दिनांक 27.12.2022 से आरोपीगण निवासी पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के विरूद्ध पुलिस थाना पण्डेर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। राजकीय पक्ष उपस्थित। दौराने बहस विपक्षी उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया।

विवेचन उपरान्त पाया गया कि प्रस्तुत किए गए फर्द निरीक्षण, फर्द जब्ती व फर्द सुपुर्दगी की छायाप्रति अनुसार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का अन्य रूप से कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये **Overall 31 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 326.6 किग्रा. एलपीजी, 03 गैस रिफिलिंग मशीन** को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

2.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा **Overall 31 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 326.6 किग्रा. एलपीजी, 03 गैस रिफिलिंग मशीन** को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा सामग्री का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नही होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2.2.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)